प्रेस विज्ञप्ति
4, अप्रैल, 2015

क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने से इंकार के भारत सरकार के निर्णय व एकतरफा फसल खरीद मापदंडों के निर्धारण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निम्नलिखित प्रेस बयान जारी किया है ;

'बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व तूफानी हवाओं से देश के चौदह प्रांतों में 170 लाख हैक्टेयर से अधिक रबी की खड़ी फसल में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद्र पनगरिया ने मोदी सरकार के ताजा निर्णय का जो खुलासा किया है, वह तो और भी खेदूपर्ण, निराशाजनक व किसान विरोधी है। इस ताजा फैसले के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का सम्पूर्ण मुआवजा देने से स्पष्ट तौर पर असमर्थतता जताई है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के किसान पर कुठाराघात के निर्णय के बाद फसली मुआवजा देने में असमर्थतता व्यक्त करने का मोदी सरकार का फैसला किसान, किसानी और खेती के विरुद्ध सरकार के रवैये को साबित करता है।

भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का बयान तो और भी कष्टदायी है। उन्होंने क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दिए बारे भारत सरकार को पूर्णत: जिम्मेदारी मुक्त कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि केंद्र के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से मुआवजे की मांग करने से पहले राज्य की सरकारें किसानों को अपने प्रांतीय आपदा प्रबंधन कोष व आकस्मिक निधि कोष से मुआवजा दें। इसके बाद ही केंद्र की सरकार इस पर कोई विचार करेगी। केंद्रीय मंत्री का यह बयान फसली मुआवजा न देने की भारत सरकार की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान मोदी सरकार की मुआवजा न देने की मंशा पर मुहर लगाता है।

केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए मंत्रियों के समूह ने तो किसानों और खेत-मजदूरों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रियों के इस समूह में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह व वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हैं। इसी समूह ने भारत सरकार के खाघान्न मंत्रालय द्वारा की गई किसानों व खेत-मजदूरों को राशन की दुकानों से अतिरिक्त अनाज देने की सिफारिश को भी खारिज कर दिया है।

खेती को सबसे बड़ा आघात भारतीय खाघान्न मंत्रालय के 24 फरवरी, 2015 के एकछत्र आदेशों से पहुंचा है। जिसके मुताबिक 12-14 प्रतिशत से अधिक नमी वाली गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने पर सम्पूर्ण रोक लगा दी गई है। इसी तुगलकी आदेश से, 4 प्रतिशत से अधिक 'कुछ क्षति वाली फसल' व 6 प्रतिशत से अधिक 'सिकुड़ी या टूटे दाने वाली फसल' की खरीद पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस एकतरफा फरमान को जारी करते हुए मोदी सरकार यह पूर्णतः भूल गई कि बेमौसमी बारिश के बाद लगभग सारी रबी की फसल में नमी की मात्रा 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक औसतन होगी। एफसीआई व दूसरी सरकारी एजेंसियों पर मोदी सरकार द्वारा लगाई गई इस पाबंदी के चलते किसान की फसल की सरकारी खरीद नहीं हो पाएगी और उसे बाजारी ताकतों के रहमो-करम पर छोड़ दिया जाएगा।

श्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार का यह चौतरफा हमला देश के किसान की आजीविका, रोटी व जीवन पर एक घिनौना कुठाराघात है। दस साल के कांग्रेस शासन के बाद, इन तुगलकी निर्णयों के चलते खाद्य उत्पादन पहली बार कम होने वाला है। इसीलिए खेत-खलिहान से संसद तक चारों तरफ एक आवाज बुलंद स्वर में सुन रही है – 'नरेंद्र मोदी किसान विरोधी'।

रणदीप सिंह सुरजेवाला
मीडिया प्रभारी,
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी।